प्रेस विज्ञप्ति

03.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सन 2016-2021 तक अपने कार्यकाल के दौरान की गई अनियमितताओं के मामले में अमानतुल्लाह खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.09.2024 को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (डीडब्ल्यूबी) में समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों की नियुक्ति में की गई अनियमिताओं के कारण सरकारी खजाने को हुए नुकसान के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना दि.व.बो. की संपत्तियों के किरायेदारी के आवंटन में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक पद के दुरुपयोग के लिए भ्र.नि. अधिनियम, 1988 और भा.दं.सं., 1860 के तहत भ्र.रो.ब्यूरो (एसीबी), दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

जांच के दौरान, दिनांक 09.10.2023 और दिनांक 02.01.2024 को कई तलाशी ली गई जिसमें अपराध-संकेती सामग्री जब्त की गई। ईडी की जांच में पता चला कि अमानतुल्लाह खान के निर्देशों के अनुसार जीशान हैदर और दाउद नासिर, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अमानतुल्लाह खान के कार्यकाल के दौरान उनके गलत तरीके से अर्जित धन का प्रबंधन कर रहे थे और इसका इस्तेमाल उन्होंने जावेद इमाम सिद्दीकी से संबंधित 275-276, टीटीआई तिकोना पार्क, ओखला, दिल्ली में संपत्ति खरीदने के लिए कौसर इमाम सिद्दीकी के माध्यम से नकद भुगतान करने के लिए किया था।

ईडी की जांच में पता चला कि जावेद इमाम सिद्दीकी और उनकी पत्नी के बैंक खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा है और जब्त की गई डायरी में कौसर इमाम सिद्दीकी द्वारा हस्तलिखित नोटिंग, तिकोना पार्क में उक्त संपत्ति की खरीद के लिए अमानतुल्लाह खान की ओर से किए गए उसी दागी नकदी लेनदेन से संबंधित है।

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जांच के दौरान अमानतुल्लाह खान को 14 समन जारी किए गए। हालांकि, वह केवल एक समन के जवाब में पेश हुए, वह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर।

दिनांक 12.01.2024 को जारी समन के लिए अमानतुल्लाह खान ने जवाब दिया कि गणतंत्र दिवस के कारण वे पेश नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अगले तीन समन के लिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और इसे गैर-हाजिर रहने का बहाना बनाया। दिनांक 16.02.2024 को जारी अगले समन के लिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस रिट याचिका के खारिज होने

के बाद वे अगले तीन समन के लिए पेश न होकर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर अग्रिम जमानत याचिका का हवाला दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अमानतुल्लाह खान को जांच में सहयोग करने और दिनांक 18.04.2024 को पेश होने का निर्देश दिया। अमानतुल्लाह खान आखिरकार दिनांक 18.04.2024 को पेश हुए और उन्होंने जांच कार्यवाही में सहयोग करने का वादा किया। हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और किसी न किसी बहाने से जांच से बचने के प्रयत्न किए।

जब दिनांक 19.04.2024 को समन जारी किया गया तो अमानतुल्लाह खान ने अपनी मां की खराब सेहत का हवाला दिया और 10 दिन का समय मांगा। उस समय उन्हें की अनुमति प्रदान की गई थी और दिनांक 01.05.2024 को उपस्थित होने के लिए कहा गया। हालांकि, वह लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने की अपनी प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए दिनांक 01.05.2024 को उपस्थित नहीं हुए। अगले दो समन के लिए, उन्होंने गैर-हाजिर होने का कारण अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और चार सप्ताह के लिए स्थगन मांगा। चार सप्ताह के बाद, ईडी ने उन्हें दिनांक 08.07.2024 को फिर से तलब किया। हालांकि, उन्होंने अपने 5वें सेमेस्टर की बीए परीक्षाओं का हवाला दिया और चार सप्ताह के लिए स्थगन मांगा। जब दिनांक 26.07.2024 को पिछली बार समन जारी किया गया तो उन्होंने स्थगन के लिए अपनी सास की खराब सेहत का हवाला दिया।

समन कार्यवाही का पालन न करने के लिए ईडी ने उनके खिलाफ एसीएमएम राउज एवेन्यू न्यायालय में भा.दं.सं., 1860 की धारा 174 के तहत 04.04.2024 और 17.08.2024 को दो अभियोजन शिकायतें दर्ज की थीं। पीएमएलए मामले में भी जीशान हैदर, दाउद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जावेद इमाम सिद्दीकी के खिलाफ दिनांक 09.01.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 19.01.2024 को इसका संज्ञान लिया।

अमानतुल्लाह खान को दिनांक 02.09.2024 को गिरफ्तार किया गया और ईडी हिरासत के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया। माननीय विशेष न्यायालय ने अमानतुल्लाह खान को 4 दिनों की हिरासत में भेज दिया।